तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **छोटेलाल बनाम ग्राम पंचायत बाड़ा पदमपुरा** **अपील संख्या 154/2019 (जीसीएमएस नम्बर 2019/00176)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.10.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत विड्रो फरमाये जाने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि गांव के मौतबिरान व्यक्तियों की आपसी समझाईश से पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है इस कारण प्रार्थीगण/अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त उनवानी अपील को अब आगे नही चलना चाहते है तथा अपील को इसी स्तर पर विड्रा करवाना चाहते है इसलिये न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त अपील को आगे नही चलाये जाने से अपील को इसी स्तर पर विड्रो किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को इसी स्तर पर विड्रो किय जाने के आदेश प्रदान करें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से अपीलान्ट्स अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहते है तथा इसी स्तर पर विड्रो करना चाह रहे है। तो ऐसी स्थिति में अब हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा अपील विड्रो किये जाने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (विकास एस.भाले) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	